कार्यालय प्रोजेक्ट कोर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0, लखनऊ

संख्याः 504/31जे0(प्रशा.)/यूपीडास्प/2013 दिनांकः10 जून, 2016

दिनांक 03.06.2016 पूर्वान्ह् 10:30 बजे कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, पी0सी0यू0, यूपीडास्प की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन आयुक्त सभागार में आयोजित कार्यकारिणी समिति की 32वीं बैठक का कार्यवृत।

उपस्थित संलग्न है।

प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर एजेण्डावार चर्चोपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.1
कार्यकारिणी समिति की 31वीं बैठक दिनांक 17.02.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

अवगत कराया गया कि दिनांक 17.02.2016 को सम्पन्न हुई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प की कार्यकारिणी समिति की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को संस्था कार्यालय के पत्रांक 4270/31जे(प्रशा.)/डास्प/2015, दिनांक 29.02.2016 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था, जिस पर किसी सदस्य के तरफ से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.2
कार्यकारिणी समिति की 31वीं बैठक दिनांक 17.02.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

एजेण्डा बिन्दु	निर्देश एवं अनुपालन	निर्णय
बिन्दु 30.1 कार्यकारिणी समिति की 30वीं बैठक दिनांक 20.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन		कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
बिन्दु 30.2 कार्यकारिणी समिति की 30वीं बैठक दिनांक 20.05.2015 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	2.4 एजेण्डा बिन्दु संख्या 11 (परियोजना में संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।) के सम्बन्ध में: निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 को पृथक से पत्रावली प्रस्तुत की जाए। निर्णयानुसार पृथक से पत्रावली कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 प्रस्तुत की गयी जिस पर दिनांक 02.03.2016 को कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।	कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पत्रावली पुनः अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
–तदैव–		शेष बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
बिन्दु 29.3 कार्यकारिणी समिति की 29वीं0 बैठक दिनांक 13.08.2013 में लिये गये	3.5 एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 के उप बिन्दु संख्या 5.17 (डास्प को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के	समिति द्वारा संज्ञानित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु	निर्देश एवं अनुपालन	निर्णय
निर्णयों की अनुपालन आख्या	संबंध में) के सम्बन्ध में: निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा कृषि विभाग को शीघ्र मन्तव्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। कृषि निदेशक के पत्र संख्या–रा0 कृ0वि0यो0 /97/18टी0सी0–2/2016–17 दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के पत्र संख्या–187/12–5–2013 –01 यू0पी0डी0/2005 दिनांक 05.02.2013 द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शत्–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना की प्रचालनात्मक के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विभाग का योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। NAIADP की केन्द्र स्तर से जारी गाईड लाईन के अन्तर्गत भी राज्य कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। योजनाओं का सफल संचालन कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों के माध्यम से कराया जा रहा है।	
–तदैव–	3.9 एजेण्डा बिन्दु संख्या 11 (परियोजना में कार्यरत अपट्रान कर्मियों को 50% के बराबर मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन में संविलियन) के सम्बन्ध में: निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण को प्रमुख सचिव, समन्वय निस्तारित करें। शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।	समिति द्वारा संज्ञानित किया गया।
–तदैव–		शेष बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
बिन्दु 31.4 योजना क्रियान्वयन हेतु संस्था द्वारा किये गये नवीन अभिनव (Innovative) कार्य सूचनार्थ।	4.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा इसको संज्ञानित करते हुए प्रशंसा की गयी। निर्देश दिये गये कि कृषि यंत्रों के उपयोग से सम्बन्धित उपलब्ध वीडियो क्लिप्स को वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रयास किया जाए। कृषि यन्त्रों के उपयोग से सम्बन्धित वीडियो क्लीप्स को यूपीडास्प की वेबसाईट www.updasp.org पर कृषक उपयोगार्थ अपलोड कर अनुपालन कर दिया गया है।	वीडियो क्लिप्स का अवलोकन किया गया। योजनान्तर्गत अनुदानित एक्सटेन्सन मशीनरी का प्रचार–प्रसार करने के लिये यंत्रों के विवरण जिसमें यंत्र की लागत, अनुदान की धनराशि एवं सम्पर्क सूत्र की जानकारी हो, की प्रतियाँ एवं सी0डी0 विकास भवन, ब्लॉक कार्यालय, न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित की जायें। वीडियो क्लिप्स

एजेण्डा बिन्दु	निर्देश एवं अनुपालन	निर्णय
		में आवाज हिन्दी भाषा में रखी जाए।
बिन्दु 31.5 वित्तीय वर्ष 2007–2008 से 2014–15 तक की सम्प्रेक्षित बैलेंस शीट के अनुमोदन पर विचार		कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
बिन्दु 31.6 आर0के0वी0वाई0 वित्त पोषित परियोजना की लम्बित देयताओं के वर्तमान Status के सम्बन्ध में।	6.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा आर0के0वी0वाई0 वित्त पोषित परियोजना यूपीडास्प द्वितीय की लम्बित देयताओं के भुगतान/वापसी के सम्बन्ध में: निर्णय–इस हेतु कृषि विभाग, उ0प्र0 के वित्त अधिकारी; महाप्रबन्धक, वित्त, यूपीडास्प एवं यूपीडास्प के गैर वित्त अधिकारी को प्राप्त देयताओं का परीक्षण हेतु नामित किया जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट को आगामी कार्यकारिणी समिति बैठक में प्रस्तुत करेगी। कृषि विभाग, उ0प्र0 स्तर से वित्त अधिकारी नामित किया जाना है। इस हेतु पी0सी0यू0 यूपीडास्प के पत्र संख्या 234 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं अनुस्माक पत्र संख्या 398 दिनांक 24. 05.2016 द्वारा प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया है। उक्त पत्रों की प्रति निदेशक, कृषि, उ0प्र0 एवं वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित कर परीक्षण हेतु अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया है, जो अद्यतन प्राप्त नहीं है।	कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि विभाग को तत्काल वित्त अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये एवं परीक्षण समिति को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बिन्दु 31.7 यू0पी0 डाईवर्सीफाईड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट के पंजीकरण को पुनः आगामी 05 वर्षों हेतु नवीनीकृत कराये जाने हेतु स्वीकृत पर विचार		कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
बिन्दु 31.8पिकप भवन में स्थापित डास्प कार्यालय परिसर के किराये में वृद्धि एवं लीज अनुबन्ध किये जानें/कार्यालय हेतु भवन/भवन के फ्लोर क्रय किये जाने पर विचार।	इस सम्बन्ध में पृथक से प्रस्ताव एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.10 पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।	समिति द्वारा संज्ञानित किया गया।
बिन्दु 31.9अन्य बिन्दु अध्यक्ष, यूपीडास्प की अनुमति से।		कोई कार्यवाही अपेक्षित. नहीं है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.3

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना वर्ष 2015–16 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में।

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना वर्ष 2015–16 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। योजनान्तर्गत पॉपलर एवं यूकेलिप्टस पौधरोपण की लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर परियोजना समन्वयक को समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कृषि यंत्रीकरण मद में लक्ष्य से कम प्रगति वाले यंत्रों की यंत्रवार समीक्षा हेतु भी निर्देशित किया गया।इसके साथ ही वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष कम पड़ी धनराशि रू0 3.79 करोड़ डास्प को उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया गया जिस पर कृषि निदेशक द्वारा शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा भौतिक प्रगति विवरण तालिका में पृथक यूनिटों–संख्या एवं हेक्टेयर को एक साथ जोड़े जाने पर सुधार हेतु एवं भविष्य में ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाने के निर्देश दिये गये जिस पर परियोजना समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि डास्प द्वारा पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से अनुदान की धनराशि का अन्तरण सीधे कृषकों के बैंक खाते में किया जा रहा है।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि डास्प के सभी लाभार्थियों का पंजीकरण कृषि विभाग के अन्तर्गत किया जायेगा वर्ष 2015–16 में जिन लाभार्थियों को योजनान्तर्गत कृषि यंत्र पर अनुदान का भुगतान किया जा चुका है उनका भी पंजीकरण कृषि विभाग के पोर्टल पर करवा कर सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.4

वर्तमान परिदृश्य में पी0सी0यू0 यूपीडास्प में पदों के पुनर्गठन एवं पुनर्नामांकन के सम्बन्ध में।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा सैद्वान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी एवं पुनगर्ठन प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.5

वर्ष 2016–17 में यूपीडास्प द्वारा प्रस्तावित योजनाओं–आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, डाइवर्सिफिकेशन योजना एवं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर कम्पिटीटिवनेस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा योजनाओं को संज्ञानित किया गया।

निर्णय–आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के संदर्भ में निर्देश दिये गये कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को कई समूहो में एक–2 दिन को ओरियन्टेशन प्रोग्राम के माध्यम से योजना की जानकारी दी जाए। इस हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग का भी उपयोग किया जा सकता है।

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना वर्ष 2016–17 के संदर्भ में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गत वर्ष की सी0डी0पी0 योजना के जनपदों के उन विकास खण्डों को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाए जहाँ विविधीकरण करने की आवश्यकता है। इस हेतु पृथक से जिला परियोजना समन्वय इकाई का गठन न किया जाए एवं समीपवर्ती जिला

इकाई से कार्य लिया जाए। वर्तमान योजना में नवीन जनपद मैनपुरी को जोड़े जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.6
यूपीडास्प द्वारा प्रस्तावित नई योजना "मुख्यमंत्री कृषक आय संवर्धन योजना" के संचालन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा संज्ञानित किया गया।

निर्णय–मुख्यमंत्री कृषक आय संवर्धन योजना को कैबिनेट से अनुमोदित कराने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही योजना हेतु यूपीडास्प के लिये पृथक से बजट प्राविधान किये जाने हेतु 1.00 लाख रू0 की टोकन धनराशि अनुपूरक बजट में प्राविधानित कराने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.7
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट यूपीडास्प उ0प्र0 में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति / संविदा / आउसोर्सिंग से तैनाती के सम्बन्ध में जिसमें सेवा निवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को भी 03 वर्ष की अवधि (आगामी 02 वर्ष तक विस्तारणीय) तक लिये जाने का प्रस्ताव।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.8
पी0सी0यू0 यूपीडास्प द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवीन प्रस्तावित योजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारियों को पेट्रोल / किराया मद में शासकीय विभागों की भांति धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.9
पी0सी0यू0 यूपीडास्प शासकीय विभाग न होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अपट्रॉन कर्मियों को शासनादेश के अनुसार समायोजित न कर पाने के कारण उनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने एवं उनको छठे वेतनमान की संस्तुतियों का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव को वित्त विभाग को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.10
पिकप भवन में स्थापित डास्प कार्यालय परिसर के किराये वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय–समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–32.11
अन्य बिन्दु अध्यक्ष, यूपीडास्प की अनुमति से।

1. यूपीडास्प में 'ई–किसान मंच' फोरम की स्थापना के सम्बन्ध में–

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा यूपीडास्प में एक 'ई–किसान मंच' फोरम की स्थापना के निर्देश दिये गये जिसमें कृषकों की कृषि एवं अन्य तत्सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त हो सकें। इस हेतु कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को नो. अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिये गये।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में एक कान्सेप्ट नोट बनाकर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(प्रवीर कुमार)
कृषि उत्पादन आयुक्त/
सह अध्यक्ष, डास्प

पत्रांक 521 /31जे.(प्रशा.)/यूपीडास्प/2013 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रमुख सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, समन्वय, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं नि0 प्रो0, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.डी.एफ।
8. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. शासन।
11. निदेशक, मण्डी परिषद्, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, कृषि, उ0प्र0।
13. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0।
16. महा निदेशक, उपकार, उ0प्र0।
17. प्रभारी कृषि प्रबन्ध केन्द्र, आई.आई.एम., लखनऊ।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव एवं
परियोजना समन्वयक